

बिहार सरकार,  
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक: 4624 आ० वा०, पटना-15

दिनांक : 04 नवम्बर, 1994 ई०।

प्रेषक:

श्री रामानन्द प्रसाद सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में:

सभी जिला पदाधिकारी

**विषय:** जन वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति जो कारण पृच्छ के बाद ही निलंबित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जनवितरण प्रणाली के विक्रेता संघ से प्राप्त मांगों पर समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के विरुद्ध प्राप्त आरोपों के संबंध में उनसे कारण पृच्छ किये बिना किसी की अनुज्ञप्ति निलंबित नहीं की जाय।

विश्वास भाजन,

H/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक: 4624 आ० वा०, पटना-15

दिनांक : 04 नवम्बर, 1994 ई०।

**प्रतिलिपि:** सभी दिशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन/सभी प्रमण्डलीय उप-निदेशक, खद्य, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H/-

सरकार के उप सचिव।

( 207 )

( 30 )